[28/7/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 1226]

विधानसभा प्रश्न क्रमांक–1226

परिशिष्ट–1

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग
लो.नि.वि. परिसर, ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.)
e-mail No.eepwdbriind@mp.nic.in; Ph- 0731-2491595, Fax- 2492677

पत्र क्र. 1795 /तक/कार्य/सेतु/2022 इन्दौर, दिनांक 5/7/22

प्रति,

श्रीमान् कलेक्टर महोदय,
जिला धार (म.प्र.)

विषय :– मनावर – उमरबन मार्ग में निर्माणाधीन ब्रिजों के निर्माण में मानक अनुरूप सामग्री इस्तेमाल करने बाबत्।

संदर्भ :– 1. माननीय डॉ. हिरालाल अलावा, विधान सभा क्षेत्र मनावर, जिला धार का पत्र क्र. 612/ एम.पी.– एम.एल.ए./ 2022 दिनांक 21.06.2022 (आपको संबोधित)।
2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग धार का पत्र क्र. 2755/ तक/ आवेदन/ मार्ग/ 2022–23 धार दिनांक 27.06.2022

*****

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस संभाग के अंतर्गत मनावर–उमरबंद–धामनोद मार्ग में 07 वृहद पुलों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। उक्त 7 कार्यों हेतु मेसर्स रियाल कन्सट्रक्सन कंपनी, पाटन गुजरात को अनुबंधित किया गया है। उक्त समस्त कार्यों में उपयोग में ली जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे कि सिमेंट, रेती, गिट्टी, सरिया उपयोग के पूर्व एवं उपयोग के दौरान जाँची जाती है। समय समय पर बीच में उक्त सामग्री का परीक्षण बाह्य थर्ड पार्टी जैसे कि एन.ए.बी.एल. परीक्षण प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। सामग्री परीक्षण में सही पाये जाने के उपरांत ही कार्य में उपयोग में लाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त मार्ग के किमी. 28/2 में ग्राम उमरबंद के नजदीक नाले पर निर्माणाधीन कार्य का पूर्व में दिनांक 02.10.2021 को माननीय मुख्य अभियंता सेतु परिक्षेत्र भोपाल द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिनमें उनके द्वारा अबटमेंट की उपरी लिफ्ट के कुछ भाग में हनीकॉम्ब पर आपत्ति जाहिर की थी एवं उसे सुधारने बाबत् मौखिक निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के परिपालन में उक्त उपरी सतह को ऐजेन्सी के खर्चे पर तुडवाकर पुनः ढलाई की गई थी। दिनांक 07.06.2022 को उक्त सेतु के मध्य भाग पीयर पी–1 एवं पी– 2 के बीच ऐजेन्सी द्वारा स्लैब डाली गई थी। स्लैब के डालने के शीघ्र पश्चात् ही प्री मानसून रेन्स हो जाने के कारण एवं नदी के पानी का बहाव डाली गई छत के बीच से बहने के कारण छत के लिए लगाई गई कॉलम सेंट्रिंग के एक कॉलम के नीचे की नींव के बैठने के कारण ताजी

छत होने के कारण कुछ झुकाव मेरे निरीक्षण दिनांक 18.06.2022 को देखा गया। इस बाबत् मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, उपयंत्री एवं ठेकेदार के प्रतिनिधी से जानकारी चाही गई। उनके द्वारा उक्त कारण के अलावा ठेकेदार द्वारा अपने सामान को बहने से बचाने के इरादे से समय पुर्व डीशटरिंग किया जाना बताया गया, जो कि मौके पर भी देखा गया। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त स्लैब के भाग को अमान्य कर ठेकेदार के हर्जे खर्चे पर पुनः निर्माण किये जाने के निर्देश दिये गये। अतः यह कहना कि निर्माण कार्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा रहा है एवं ठेकेदार द्वारा मर्जी से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, निराधार है। सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समय समय पर कार्यों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है एवं उपयोग में लाई जा रही सभी सामग्री का समय समय पर परीक्षण कर गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। इस संबंध में यह भी अवगत कराया जाता है कि पुल निर्माण के पश्चात् यातायात प्रारंभ करने के पुर्व सेतु पर आई.आर.सी. मानक अनुसार भार परीक्षण किया जावेगा एवं उसमें पुलों के सफल पाये जाने के उपरांत ही आम जनता के उपयोग हेतु सेतु को खोला जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण
संभाग इन्दौर (म.प्र.)

पृ. क्र. 1796 / तक/कार्य./सेतु/2022 इन्दौर, दिनांक 5/7/22

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय डॉ. हिरालालजी अलावा, विधानसभा क्षेत्र मनावर, एफ-108/41 शिवाजी नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण
संभाग इन्दौर (म.प्र.)